वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कोविड–19 के दृष्टिगत वर्ष 2021 की परीक्षा एवं परिणाम सम्बन्धी नियमावली

अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांकः 236/रा0उ0शि0प0/ 53/19 दिनांक–09, जून, 2021 एवं उसके साथ संलग्न विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या– 1200/सत्तर–3–2021–08(20) दिनांक 08 जून, 2021 द्वारा विश्वविद्यालयों के शैक्षिक सत्र 2020–21 की **परीक्षाओं** के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम तैयार किए जाने केसम्बन्ध में **कोविड–19** महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत दिशा–निर्देशों/सुझाव दिये गये हैं। उक्त के आलोक में, विश्वविद्यालय की **सत्र 2020–21** में छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत किये जाने एवं परीक्षा सम्पन्न कराने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश/प्रावधान/नियम इत्यादि निम्नवत् हैः–

1. यह नियमावली **' परीक्षा एवं परिणाम नियमावली–2021'** कही जायेगी तथा केवल शैक्षिक सत्र 2020–2021 के लिए लागू होगी।
2. यह नियमावली संस्थागत/व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थियो पर लागू होगी।
3. ऐसे प्रकरण जो इस नियमावली से आच्छादित नहीं है, उन पर परीक्षा समिति द्वारा यथा समय लिये गये निर्णय लागू एवं मान्य होंगे।
4. विश्वविद्यालय की शैक्षिक सत्र 2020–2021 की स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष एवं स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षायें सम्पन्न करायी जाय। शेष कक्षाओं में छात्रों को प्रोन्नत किया जाय।

1. **वार्षिक परीक्षा पद्धति के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा–निर्देश :–**
   1. विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष की परीक्षायें सम्पन्न नहीं हुई है, अतएवं स्नातक प्रथम वर्ष के उन छात्रों को द्वितीय वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जायेगा तथा वर्ष 2022 में होने वाली उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से उनके प्रथम वर्ष का परिणाम तथा अंक निर्धारित किए जायेगे।
   2. **स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु दिशा–निर्देश–**

      (क) विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष के जिन विषयों एवं प्रश्नपत्रों की परीक्षायें सम्पन्न हुई थीं उनके अंकों को उनके सापेक्ष अंकित किया जाय। प्रथम वर्ष के शेष विषयों/प्रश्नपत्रों में स्नातक द्वितीय वर्ष के विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा के उर्त्तीणांकों के औसत के आधार पर अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण कराया जाय।

      (ख) मुख्य परीक्षा वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष की परीक्षायें नहीं हुई थीं, इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय वर्ष की परीक्षायें करायी जायेंगी और परीक्षा परिणाम के अनुसार तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जायेगा।
   3. स्नातक तृतीय/अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को सम्पन्न कराया जायेगा।

4. स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध के छात्रों को उत्तरार्द्ध में प्रोन्नत किया जायेगां। जब वर्ष 2022 में उत्तरार्द्ध की परीक्षायें होंगी, तो उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें अंतर्वेशन से पूर्वार्द्ध वर्ष हेतु अंक प्रदान कर परीक्षाफल तैयार किये जायेंगे।

5. स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षायें करायी जायेगी।

2. **सेमेस्टर पद्धति के अन्तर्गत संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संदर्भ में दिशा–निर्देश :–**

1 जहाँ स्नातक प्रथम/तृतीय (विषम) तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर की परीक्षायें हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय/चतुर्थ (सम) सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड–टर्म/अन्तरिम मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

2 जहाँ विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षायें सम्पन्न नहीं हुई हैं वहाँ, मिड टर्म/आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किये जायेंगे।

3 स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षायें सम्पन्न करायी जायेगी। यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षायें सम्पन्न नहीं हुई हो, तो अन्तिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किये जायेगे।

3. **परीक्षाओ का आयोजन :–**

स्नातक/स्नातकोत्तर के अन्तिम सेमेस्टर एवं अन्तिम वर्ष तथा उपरोक्तानुसार यथावश्यक स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षायें निम्नानुसार आयोजित की जायेगी।

1. समस्त परीक्षा यथासम्भव अगस्त, 2021 मध्य तक सम्पन्न करा ली जायें। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की तिथियों का निर्धारण किया जायेगा।
2. प्रायोगिक परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेगी तथा अंकों का निर्धारण लिखित परीक्षा के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा।

सैद्धान्तिक प्राप्तांक	प्रायोगिक प्राप्तांक प्रतिशत			
	स्नातक कला, विज्ञान एवं वाणिज्य	बी0एड0/ एम0एड0	विधि	कृषि
40 प्रतिशत तक	60	75	65	70
40 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक	65	80	70	75
50प्रतिशत से अधिक एवं 60 प्रतिशत तक	70	85	75	80
60 प्रतिशत से अधिक एवं 65 प्रतिशत तक	80	90	85	90
65 प्रतिशत से अधिक	85 प्रतिशत अधिकतम	95 प्रतिशत अधिकतम	90 प्रतिशत अधिकतम	95 प्रतिशत अधिकतम

3. मौखिक परीक्षा (Viva Voce) आनलाईन सम्पन्न करायी जाय।
4. परीक्षा प्रणाली का सरलीकरण किये जाने के क्रम में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध की परीक्षायें सम्पन्न करायीं जायं।
5. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के जिन विषयों में दो प्रश्नपत्र होते हैं, उनमें से प्रथम प्रश्नपत्र तथा जिनमें दो से अधिक प्रश्नपत्र होते हैं, उनमें से प्रथम एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
6. बी0काम द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र, तृतीय प्रश्नपत्र एवं पंचम प्रश्नपत्र तथा बी0काम0 तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
7. वार्षिक परीक्षा प्रणाली के आधार पर संचालित बी0एस–सी0(कृषि) पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के परीक्षार्थियों की प्रथम, तृतीय एवं पंचम प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
8. स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध के प्रत्येक विषय के अनिवार्य प्रश्नपत्रो में यथास्थिति प्रथम, तृतीय, पंचम एवं सप्तम प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
9. एम0काम0 द्वितीय वर्ष के अनिवार्य प्रश्नपत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
10. विश्वविद्यालय द्वारा प्रश्नपत्रों की सम्पन्न कराये गये परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अन्य प्रश्नपत्रों में औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल तैयार किया जाय।
11. परीक्षा अवधि तीन घण्टे के स्थान पर डेढ़ घण्टा (90मिनट) होगी।
12. परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र के खण्ड–अ के सभी प्रश्नों, खण्ड–ब से तीन प्रश्नो तथा खण्ड–स से एक प्रश्नपत्र हल करना होगा। अंकों का विभाजन तदनुसार किया जाय।
13. द्वितीय वर्ष के सैद्धान्तिक परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के औसत अंको के आधार पर प्रथम वर्ष का परीक्षाफल पूर्ण होगा।
14. प्रायोगिक विषयों में द्वितीय वर्ष की सम्बन्धित विषय की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक/उत्तीर्णांक को ही (जो भी अधिक हो) प्रथम वर्ष के लिए भी संगत विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप के प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक माना जाय।
15. परीक्षा के दौरान कोविड–19 से बचाव के समस्त प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जाय। एक कमरे में छात्रों के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से की जाय कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो। कमरे Well-ventilated हों तथा खिड़कियों एवं रोशनदान खोलकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाय।
16. परीक्षा के पहले एवं बाद में सेनेटाइजेशन की व्यवस्था, अनिवार्य फेस मास्क एवं थर्मल स्कैनिंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

17. कोरोना संकमण के कारण यदि कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है, तो उस दशा में छात्र को उस कोर्स/प्रश्नपत्र की विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हों। उपर्युक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए एक बार लागू होगा।
18. यथासम्भव दिनांक 31 अगस्त, 2021 तक परीक्षाफल घोषित किया जाय।
19. ऐसे छात्र जो उपर्युक्त व्यवस्था की परीक्षा से घोषित परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, वे 2022 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा अथवा सत्र 2022–23 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगे।
20. उपर्युक्त दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों पर लागू होंगे।
21. अभियंत्रण व प्रबन्धन एवं अन्य पाठ्यक्रमों जिनमें अन्य विधायी कार्यालयों/संस्थानों से नियम व दिशा–निर्देश प्राप्त होते है, उन्हें दिशा–निर्देश हेतु पत्र प्रेषित किया जाय तथा उनसे प्राप्त नियमों दिशानिर्देशो के अनुसार कार्यवाही की जाय। यदि समय से दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं होते है तो विश्वविद्यालय की इस नियमावली में विहित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय।
22. **महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, स्टाफ एवं छात्रों के वैक्सीनेशन का कार्य प्राथमिकता पर कराने हेतु संबंधित को पत्र प्रेषित कर अनुरोध कर लिया जाय।**

परीक्षा नियंत्रक

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, महाविद्यालय।
2. संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष,वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,जौनपुर
3. कुलसचिव जी।
4. वित्त अधिकारी जी।
5. समस्त सहायक कुलसचिव।
6. समस्त अधीक्षक/प्रभारी समस्त अनुभाग।
7. वेब मास्टर।

सहायक कुलसचिव
(परीक्षा)